राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी3/1 अम्बेडकर भवन राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर

क्रमांकः–एफ15( )भिक्षा.नि./सा0सु0/सान्याअवि/16–17/ 44139 जयपुर दिनांक 28/07/17

भिखारियों एवं दरिद्र व्यक्तियों हेतु पायलट आधार पर पुनर्वास गृह संचालन के अस्थाई दिशा–निर्देश 2017

भिखारियों एवं दरिद्रों के पुनर्वासित किये जाने हेतु पायलट आधार पर संचालित किये जाने वाले पुनर्वास गृहों (25 आवासियों हेतु) के संचालन के दिशा निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते हैः–

1. **प्रस्तावनाः**–राज्य में बढ़ती भिक्षावृति की समस्या के समाधान एवं भिक्षावृति में लिप्त व्यक्तियों तथा दरिद्रों को प्रशिक्षण उपरान्त वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध करवाकर पुनर्वासित करने हेतु दो (जयपुर व राजसमन्द में जिला मुख्यालय) में स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। इन केन्द्रों में 25 की आवासीय क्षमता होगी, जिनमें भिखारी एवं दरिद्र व्यक्तियों को आवास, भोजन–वस्त्रादि अन्य आवश्यक दैनिक मूलभूत सुविधाओं के साथ–साथ वैकल्पिक रोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा, जिससे यह वर्ग समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित हो सके।

2. **पात्रताः**– इन पुनर्वास केन्द्रों में प्रवेश की पात्रता निम्नानुसार होगी–

A. 18 स 60 वर्ष की आयु वर्ग के महिला/पुरूष जो भिक्षावृति के माध्यम से जीवन–यापन करते हो अथवा दरिद्र हो।
B. किसी भी प्रकार के पागल/मनोरोगी/संक्रामक रोग से पीडित ना हो।
C. मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम हो।
D. जिसके विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आपराधिक मुकदमा दर्ज ना हो।

3. **आवासियों का प्रवेश एवं चयनः**– पुनर्वास गृह में आवासियों का प्रवेश एवं चयन निम्न आधार पर किया जावेगाः–

A. स्वयं भिखारी/दरिद्र प्रवेश लेने का इच्छुक हो।
B. जिला प्रशासन/पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान के अन्तर्गत भिक्षावृति में लिप्त पाये गये हो।
C. नशा मुक्ति केन्द्रों से।
D. बाल–गृहो में आवासित 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके बच्चे (भिक्षावृति में लिप्त पाये जाने वाले)

4. **आवासियों को प्रशिक्षणः**– प्रशिक्षण पुनर्वास केन्द्र संचालन करने वाली स्वयंसेवी संस्था द्वारा योग्य प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करवाया जायेगा। पुनर्वास केन्द्र में आवासियों को

प्रशिक्षण हेतु 3 माह तक रखा जायेगा। उनकी रूचि एवं योग्यता के अनुसार एवं क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार की प्रकृति के अनुसार निम्न ट्रेड में प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु राशि एवं मेटेरियल किट की राशि संस्था द्वारा वहन की जायेगी।

5. **प्रशिक्षण हेतु ट्रेडः–**

क्र.सं.	प्रशिक्षण का नाम	क्र.सं.	प्रशिक्षण का नाम
1	फीटर ट्रेनिंग	9	बुक बाईंडिग।
2	ऑटो मोबाईल रिपेयर्स	10	मोमबत्ती बनाना।
3	कारपेन्टर कार्य	11	अगरबत्ती बनाना।
4	बैल्डिंग	12	कैटरिंग।
5	टेक्स टाईल प्रिंटिग्स	13	पेपर बैग मेंकिग।
6	टेलरिंग	14	अन्य क्षेत्रिय आवश्यकताओं के अनुसार
7	इलेक्ट्रिकल फीटिंग	15	सुरक्षा गार्ड की ट्रेनिंग
8	औधोगिक प्रशिक्षण ट्रेनिंग		

6. **स्वयं का रोजगार करने हेतु मैटेरियलः–** प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् आवासियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए संस्था द्वारा प्रयास किया जावेगा। रोजगार उपलब्ध नही होने की स्थिति में संस्था द्वारा स्वरोजगार करने हेतु मेटेरियल किट उपलब्ध करवाया जायेगा।

7. **फालोअप कार्यक्रमः–** संस्था द्वारा लाभान्वित व्यक्ति का नौकरी/रोजगार अथवा स्वरोजगार की स्थिति में दिये गये मैटेरियल किट उपलब्ध करवाये जाने के पश्चात 1 वर्ष तक फालोअप किया जावेगा।

8. **आवासियों की दिनचर्याः**–पुर्नवास केन्द्र में आवासियों का निवास सुनिश्चित करने के लिए उनकी व्यस्त दिनचर्या निम्नानुसार निर्धारित की जायेगीः–

A. प्रातः 5 बजे से 7 बजें तक शौच, स्नान, प्रार्थना आदि।
B. प्रातः 7 से 7:30 बजे तक चाय, नाश्ता।
C. प्रातः 7:30 से 9 बजे तक समाचार पत्र अथवा टी0वी0 आदि।
D. प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रशिक्षण।
E. दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक दोपहर का भोजन एवं आराम।
F. दोपहर 3 से 5 बजे तक योग, प्रवचन एवं खेल।
G. सायं 5 से 6 बजे तक चाय, नाश्ता।
H. सांय 6 से 7 बजे तक प्रार्थना।
I. सांय 7 से 8 बजे तक भोजन।
J. रात 8 से 10 बजे तक टी0वी0 एवं विचार–विमर्श।
K. रात 10 बजे शयन।

9. **पुनर्वास गृह संचालन हेतु संस्था का चयनः**–पुनर्वास गृह के संचालन हेतु निदेशालय द्वारा विज्ञप्ति जारी की जायेगी। इच्छुक स्वयं सेवी संस्था द्वारा अपना आवेदन पत्र, जिला कलक्टर की अभिशंषा के साथ अग्रेषित करवाकर निदेशालय को भिजवाया जायेगा। निदेशालय द्वारा जिला कलक्टर की अभिशंषा उपरान्त उपयुक्त, सक्षम एवं प्रतिष्ठित स्वयं सेवी संस्थाओं का चयन कर

राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् उपयुक्त सक्षम स्वयं सेवी संस्थाओं को निम्न आधार पर चयन किया जाकर स्वीकृति जारी की जा सकेगी:–

A. आर्थिक स्थिति
B. भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान में सक्रिय भागीदारी एवं अनुभव
C. संस्था द्वारा संचालित की जा रही गतिविधियॉ।
D. आधारभूत ढांचा।
E. पुनर्वास गृह संचालन हेतु प्रस्तुत कार्ययोजना।
F. आवासियो को निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र एवं प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिये सहमति।

10. पुनर्वास गृह के संचालन हेतु निम्नानुसार अनुदान देय होगाः–

1	भोजन वस्त्र आदि, 2000/– प्रति आवासी प्रति माह (भोजन 1400/–, वस्त्र, चिकित्सा, तेल–साबुन के लिए 600/– प्रतिमाह प्रति आवासी) (2000*25*12) कुल योग	वार्षिक अधिकतम 6.00 (राशि लाखो में)

उक्तानुसार एक पुनर्वास केन्द्र के लिये वार्षिक व्यय राशि रूपये 6.00 लाख (अक्षरे छः लाख रूपये) होगा। उक्त अनुदान राशि के अतिरिक्त अन्य सभी व्यय भार संस्था द्वारा वहन किये जायेगें। चयनित स्वयं सेवी संस्था को अनुदान राशि का भुगतान जिलाधिकारी (जयपुर शहर/राजसमन्द) द्वारा कोषालय के माध्यम से संस्था के बैंक खाते मे किया जायेगा।

(जे.सी.महान्ति)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

कमांकः–एफ15( )भिक्षा.नि./सा0सु0/सान्याअवि/16–17/44140–53 जयपुर दिनांक 28/07/17
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान सरकार ।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय,सान्याअवि राज0 जयुपर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज0 जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार मुख्यावास।
6. जिला कलक्टर जयपुर/राजसमन्द।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयुपर/राजसमन्द।
8. कोषाधिकारी कोषकार्यालय जयपुर शहर/राजसमन्द।
9. उपनिदेशक/सहायक निदेशक सान्याअवि जयपुर शहर/राजसमन्द।
10. आदेश पत्रावली।
11. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मुख्यावास।

pl. Upload

अशिन शर्मा
सहायक निदेशक (परिवीक्षा)

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव